

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक पा० 6(1)राज-6 / 2014 / पार्ट-1/14

जयपुर, दिनांक २० -०४ - २०१६

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) संपर्कित धारा 260 उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलक्टरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टर्स द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचना राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वारा-2016 की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आङ्गा से,

(कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व / विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक २०-०४-१६, में प्रकाशत हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. रक्षित पत्रावली।
12. निदेशक, जनसंपर्क, राजस्थान को प्रेरा रिलीज हेतु।

संयुक्त शासन सचिव